

IMPORT OF ALLOY STEEL BY JINDAL ALUMINIUM FACTORY, BANGALORE

**1180. SHRI SUKHDEV PRASAD:
SHRI G. A. APPAN:**

Will the Minister of FOREIGN TRADE] विदेश व्यापार मंत्री be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the DGTD had recently recommended the issue of a licence for the import of alloy steel for the Jindal Aluminium factory, Bangalore for their regular consumption;

(b) whether it is also a fact that the non-cooperative attitude for the Asst. Iron and Steel Controller, Faridabad was responsible for the non-issue of the licence to the factory on account of which the production programme of the factory was obstructed resulting in part-closure of the factory and mass retrenchment of workers therein; and

(c) if so, what action has been taken against the persons responsible for creating such a situation?

**THE DEPUTY MINISTER IN THE
MINISTRY OF FOREIGN TRADE/
विदेश व्यापार मंत्रालय में उप-मंत्री:**

(SHR A. C. GEORGE): (a) Yes, Sir. M/s. Jindal Aluminium Private Ltd., Bangalore made two applications during 1970-71 for import of alloy tool steel (hot die steel), and, licences against both these applications have been issued.

(b) No Sir.

(c) Does not arise.

**संघ लोक सेवा आयोग की लिपिक वर्ग
की परीक्षा**

1181. श्री दत्तोपन्त ठेंगड़ी: : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिपिक संवर्ग की जो परीक्षा ली जा रही है,

उसमें प्रवेश के लिये आयु सीमा 21 वर्ष नियत करने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या उक्त परीक्षा के लिये प्रवेश की आयु सीमा 21 से बढ़ा कर 25 वर्ष करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†[U.P.S.C. CLERICAL GRADE
EXAMINATION

1181. SHRI D. THENGARI: Will the PRIME MINISTER/ प्रधान मंत्री be pleased to state:

(a) what are the reasons for fixing the age limit at 21 years for admission to the Clerical Grade Examination which is being conducted by the U.P.S.C.

(b) whether any proposal to increase the age limit from 21 years to 25 years for the said examination is under Government's consideration; and

(c) if not, what are the reasons therefor?]

कामिक विभाग में राज्य मंत्री (श्री राम निवास मिर्धा) : (क) लिपिक ग्रेड की परीक्षा 1971 से सचिवालय प्रशिक्षण स्कूल, नई दिल्ली द्वारा ली जा रही है, न कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ।

1955 में सरकार ने डा० ए० रामाम्बामी मुद्दालियर की अध्यक्षता में लोक सेवाएं (भर्ती के लिये अर्हताएं) समिति का गठन किया, जिसका उद्देश्य लोक सेवाओं में प्रवेश के लिये विश्वविद्यालय की डिग्री की पूर्वविक्षित अर्हता के रूप में निर्धारित करने की आवश्यकता की जांच करना था । समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार किया गया और दिसम्बर, 1959 में सामान्य आदेश जारी किये गये जिसमें अवर श्रेणी लिपिक के पद समेत श्रेणी में 1 तथा 3 के विभिन्न गैर-तकनीकी पदों के लिए शैक्षणिक अर्हताएं तथा आयु